

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

परण संख्या -396 / 2024

प्लान :

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासीयान 3 आर.के. राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मनेन्द्रसिंह पुत्र गुरदीपसिंह जाति जटसिख निवासीयान 3 आर.के. राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. गुरमीत कौर पत्नी गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 3 आर.के. राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गुरविन्द्र कौर पत्नी देवेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 3 आर.के. राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मनजिन्द्र कौर पत्नी मनेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 3 आर.के. राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88,53 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद वर्मा :-वादीगण

2 अधिवक्ता करनैलसिंह :-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 30/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री महावीर प्रसाद वर्मा व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

क.कि वादी सं० 1 देवेन्द्र सिंह को प्राप्त आराजी:- चकनं० 3 आर.के. प०न० 215/283 मु० 24 किलानं० 1/1/.215, 1/2/.038, 2/1/.215, 2/2/.038, 3/1/.215, 3/2/.038, 4/.071 है० पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण, 4/2/.013 है० रास्ता, 7/.085 है० पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण, 8 ता 10/.759, 14/.084 है० पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण, 13/1/.236, 18/1/.236, प०न० 216/283 मु० 25 किलानं० 1/1/.215, 1/2/.038 है० रास्ता व चकनं० 3 आर.के. खाता सं० 29/53 में से

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी
प्रतिवादीगण का सं० 1 गुरमीत कौर का 1/5 हिस्सा।

ख.चक नं० 3 आर.के. के प०न० 215/284 मु० 31 किलानं० 5,6,15,16/1.012, 4,7,14,17,25/1.265, प०न० 215/283 मु० 24 किलानं० 15,16/.506, 17/1/.127, 24,25/.506 है०, 17/2/.101, 4/.144 है० पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण, 4/.025 है० खाला, 7/.168 है० पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण, 14/2/.127, 14/1/.042 है० पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण कुल 4.023 है० आराजी में से वादी सं० 2 मनेन्द्र सिंह को 3.011 है० तथा प्रतिवादीया सं० 3 मनजिन्द्र कौर को 1.012 है०

ग.प्रतिवादीया सं० 1 गुरमीत कौर को प्राप्त आराजी:-चक नं० 3 आर.के. प०न० 215/281 मु० 17 किलानं० 24/.253, प०न० 215/282 मु० 22 किलानं० 4/.253 है०

घ.प्रतिवादीया सं० 2 गुरविन्द्र कौर प्राप्त आराजी:-चकनं० 3 आर.के. प०न० 215/281 मु० 17 किलानं० 25/.253 है०,प०न० 215/282 मु० 22 किलानं० 5/.253 है०

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने व चकनं० 3 आर.के. खाता सं० 21/21 में से मनजिन्द्र कौर का नाम कलमजन, इसी चक के खातासं०29/53में से गुरमीत कौर का नाम कलमजन, चकनं० 3 आर.के. खाता सं० 105/21 में से मनजिन्द्र कौर का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं० 40/22 में से मनेन्द्र सिंह का हिस्सा कम, इसी चक के खाता सं० 55/17 में से मनेन्द्र सिंह का नाम कलमजन, इसी चक के खाता सं० 28/28 में से गुरमीतकौर का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी